कार्यालय नगर निगम, पूर्णियाँ।

फार्म–VIII "क"

(भवन परमिट हेतु अनुमोदन फार्म)

उपविधि संख्या–8 (4)

आवेदन संख्या–106/2024–25, दिनांक–22-4-25 के संदर्भ में **श्री ब्रहमदेव सिंह, श्री रणविजय सिंह, श्री कृष्ण कुमार सिंह एवं श्री दिलीप कुमार सिंह पिता–स्व0 जयराम सिंह श्रीमति माया देवी पति–स्व0 रणधीर बहादुर सिंह एवं श्री कुमार राहुल सिंह, पिता–स्व0 रणधीर बहादुर सिंह मोहल्ला–बसगामा अब्दुल्ला नगर बायपास रोड एन0एच0–31, पूर्णिया, वार्ड नं0–45,** जिला–पूर्णियाँ के लिए

Block A1 G+1 (Unit 06) (आवासीय) भवन के निर्माण
Block A2 G+1 (Unit 05) (आवासीय) भवन के निर्माण
Block B1 G+1 (Unit06) (आवासीय) भवन के निर्माण
Block B2 G+1 (Unit 04) (आवासीय) भवन के निर्माण
Block C1 G+1 (Unit 08) (आवासीय) भवन के निर्माण
Block C2 G+1 (Unit 07) (आवासीय) भवन के निर्माण
Block D1 G+1 (Unit 10) (आवासीय) भवन के निर्माण
Block D2 G+1 (Unit 10) (आवासीय) भवन के निर्माण
Total Unit 56

पूर्णियाँ नगर निगम पूर्णिया/बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना विकास योजना/आयोजन प्राधिकार/आयोजना स्कीम के **मौजा–अब्दुल्ला नगर, एम0एस0पी प्लौट नं0–630, 627, 635, 665, 666, 667, 620, 617, 618, 626, 628, 629, 681, 678, 680, 621, 622, 623, 624, 625, 679, 610 खाता संख्या–479, 411, 148, 413, 417 होल्डिंग संख्या–594056691 गाँव पूर्णियाँ, मोहल्ला– बसगामा अब्दुल्ला नगर बायपास रोड एन0एच0–31, वार्ड नं0–45 के** बावत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. **प्रस्तावित भवन का उपयोग आवासीय के रूप में प्रयोजन के लिए किया जाएगा** और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नही किया जायेगा।
2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जायेगा।
3. अनुमोदित योजना में दर्शाया गया **2309.03 वर्गमीटर का पार्किंग स्थान** खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि बायपास एन0एच0–31 के दाहिने तरफ जाने वाली सर्वे सड़क **(60 फीट) 18 मीटर चौड़ाई** के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
5. प्रश्नगतभूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा कें आवशय हो।
6. सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या मानक बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधिनस्थ पूर्णियाँ **नगर निगमों क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 1.5 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।**

7. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से **पाँच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य** होगी।

8. इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक हित की बाबत साक्ष्य नही मानी जाएगी।

9. योजना के अनुमोदन के पश्चात भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

10. प्रस्तावित स्थल पर भवन निर्माण कराते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि आस–पड़ोस के भवनों पर किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं पहुँचे एवं ग्रीन शीट से ढ़क कर ही निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करें।

11. Rera Bihar में पंजीकरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

12. प्रस्तावित भवन भूकम्प रोधी तकनीक पर बने एवं उच्च गुणवत्ता युक्त हो, ताकि भूकम्प के प्रभाव नहीं पड़ सकें।

13. जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

14. जल संचय (Rainwater Harvesting) की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

15. बिहार भवन उपविधि 2014 एवं संशोधित भवन उपविधि 2022 में उपबंधित अन्य सभी संबंधित शर्त्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

कार्यालय नगर निगम पूर्णियाँ

उपरोक्त शर्त्तों के साथ उक्त भवन मानचित्र की स्वीकृति दी जाती है।

24/03/2025

नगर आयुक्त,
नगर निगम, पूर्णियाँ।